

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
राजस्थान रेजीडेन्सियल एज्युकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स सोसायटी (राईस)
कमरा नम्बर 411, अम्बेडकर भवन सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर। 0141-2220278


क्रमांक एफ1(A)(140)स्था./राईस/सामान्य/2016/5052

दिनांक 6-7-16

आदेश

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के नियंत्रणाधीन राईस द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में दिव्यांगजनों (अस्थि विकलांग) को प्रवेश हेतु कक्षावार एवं श्रेणीवार 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित किये जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।


(रवि जैन)


निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव
एवं सचिव राईस

क्रमांक एफ1(A)(140)स्था./राईस/सामान्य/2016/5053-143

दिनांक 6-7-16

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधि. विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामा. न्याय एवं अधि. विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर।
4. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक, (अनु.जाति एवं जनजाति कल्याण), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं प्रभारी अधिकारी, मुख्यावास।
5. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
6. संयुक्त निदेशक (देवनारायण), मुख्यावास।
7. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर मुख्यावास को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड एवं संबंधित को ई-मेल करने हेतु।
8. सहायक निदेशक (प्रचार), मुख्यावास को प्रेषित कर लेख है कि समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार करवाया जाना सुनिश्चित करें।
9. संबंधित जिला कलेक्टर
10. संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी
11. संबंधित उपनिदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग.....
12. प्रधानाचार्य, सम्बन्धित राजकीय आवासीय विद्यालय को भेजकर लेख है कि उक्तानुसार प्रवेश की कार्यवाही किये जाना सुनिश्चित करावे।
13. आदेश पत्रावली।


(डॉ. हरसहाय मीणा)
अतिरिक्त निदेशक
(अनु.जाति एवं जनजाति कल्याण)
एवं प्रभारी अधिकारी राईस